

ग्रामीण सेवा शिविर-2025


प्रपत्र-4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

- आदेश :-

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जीप्रती डोजीपा
 व भूअनि. बनेरीपा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बेलमगडा / नायब
 तहसीलदार बेलमगडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान यू-राजस्व अधिनियम
 1956 की धारा 136 के अनुरारण में ग्राम श्यामखेडा तहसील बेलमगडा व
 जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 06 में
 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
 दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-


क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>श्यामखेडा</u>	06	<u>उदराम डिग छोगा गाँव</u> र० SBBJ.	<u>उदराम डिग छोगा गाँव</u> र० SBI


 पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बेलमगडा

दिनांक :- 10/10/25

क्रमांक- 302
 प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार बेलमगडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री उदराम डिग छोगा गाँव को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बेलमगडा